भत्ते – Allowance

रेल सेवक विभिन्न प्रकार के भत्तों के हकदार होत है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. मंहगाई भत्ता :

भारतीय रेलवे में कार्यरत्त कर्मचारी वस्तुओं की कीमते बढ़ने पर मंहगाई भत्ते के रूप में प्रतिपूर्ति के हकदार है। यह भत्ता वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी और जुलाई में अखिल भारतीय केन्द्रीय मूल्य सूचकांक में हुई बढ़त के अनुसार संशोधित किया जाता है। यह केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को समान रूप से देय है ।

छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन से आशय उस वेतन से है, जो निर्धारित पे बैंड + लागू पे बैण्ड में लिया जाता है, लेकिन इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है। मंहगाई भत्ते की गणना के लिए नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउन्सेस, जहाँ लागू हो, शमिल किया जाएगा। जनवरी 2006 से मंहगाई भत्ते की दरें निम्नानुसार है :–

01.01.2006	NIL	01.07.2006	2%	01.01.2012	65%	01.07.2012	72%
01.01.2007	6%	01.07.2007	9%	01.01.2013	80%	01.07.2013	90%
01.01.2008	12%	01.07.2008	16%	01.01.2014	100%	01.07.2014	107%
01.01.2009	22%	01.07.2009	27%	01.01.2015	113%	01.07.2015	119%
01.01.2010	35%	01.07.2010	45%	01.01.2016	00	संतवा वे.आ.	लागू
01.01.2011	51%	01.07.2011	58%	01.07.2016	2%	01.01.2017	4%

2. मकान किराया भत्ता :

यह भत्ता उन रेल कर्मचारियों को देय है जिन्हें रेलवे आवास की सुविधा नहीं दी गई है। यह विभिन्न शहरों की श्रेणी अनुसार निम्नलिखित रूप से देय है :–

क्रस	शहर की श्रेणी / वर्गीकरण	मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में HRAकी दर (+NPAजहाँ लागू हो)
(i)	Xश्रेणी के शहर (पूर्व में A-1श्रेणी के शहर)	30%
(ii)	Yश्रेणी के शहर (पूर्व मेंA,B-1 B-2 श्रेणी के शहर)	20%
(iii)	Zश्रेणी के शहर (पूर्व में Cश्रेणी के शहर)	10%

उपर्युक्त दरें 01.09.2008 से प्रभावी है।

मकान किराया भत्ता की गणना के लिए मूल वेतन ऊपर वर्णित मद सं. 01 के अनुसार होगी।

मकान किराया भत्ता रेल सेवक को नहीं दिया जाएगा यदिः–

(i) वह अपने आवास के लिए किराए पर कोई खर्च वहन नही करता है।

(ii) वह सरकार द्वारा दिए गए आवास का अधिग्रहण करता है।

(iii) वह अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया रहित सरकारी आवास में हिस्सेदारी करता है ।

(iv) वह अपने माता–पिता /पुत्र/पुत्री को केन्द्रीय/राज्य सरकार, स्वायतसासी संस्था या अर्द्ध सरकारी संगठन जैसेः– नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि द्वारा आवंटित आवास में रहता हो।

(v) उसके पति/पत्नि को उसी स्टेशन पर केंन्द्र सरकार/राज्य सरकार , अर्द्ध सरकारी संगठन की स्वायतसासी संस्था जैसेः– नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि द्वारा आवास आवंटित किया गया हो, चाहे वह उस आवास में रहे या अलग से किराए के मकान में

रहे हो।

(vi) एक रेल सेवक जो अन्य रेल/सरकारी कर्मचारी को आबंटित आवास में हिस्सेदार करता है वह (उपर्युक्त (iii), (iv) और (V) में वर्णित को छोड़कर) मकान किराया भत्ता का हकदार होगा ।

नोट :– ऐसे मामलों में जहाँ पति/पत्नि/माता–पिता/बच्चे– इनमें से दो या अधिक केन्द्र सरकार के कर्मचारी या राज्य सरकार, स्वायतसासी संस्था या अर्द्ध सरकारी संगठन जैसेः– नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि के कर्मचारी हो तथा अन्य सरकारी कर्मचारी को आबंटित आवास में हिस्सेदारी करते हो तो मकान किराया भत्ता, उनकी इच्छानुसार , उनमें से केवल एक देय होगा ।

यह भत्ता सभी प्रकार की छुटियों के दौरान 180 दिन तक पुर्ण दर (Full rate) पर देय हैं। रेल कर्मचारी के किसी बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर 180 दिन तक का मकान किराया भत्ता Full rate पर देय है। तथा चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर इसे 240 दिन तक बढाया जा सकता हैं। किसी प्रकार के आवास का हकदार व्यक्ति यदि उक्त आवास अस्वीकार करता है तो वह मकान किराया भत्ता का हकदार नहीं होगा । (IREC-II नियम1707)

(RBE 111/08 & 123/08)

3. छठे वेतन आयोग की सिफाशिों के अनुरूप सभी रेल सेवक निम्नलिखित दरों पर परिवहन भत्ते के हकदार होंगे :–

क्रस	तक ग्रेड पे प्राप्त करने वाले	परिवहन भत्ते की प्रतिमाह दर	
		पूर्व में A-1/A के रूप में वर्गीकृत 13 (दिल्ली, कोलकाता, ग्रेटर, मुम्बई, चैन्नेई, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत, पूणे, जयपुर लखनउ, कानपुर) शहरों में	अन्य शहरों में
1.	Rs.5400/- और उससे उपर ग्रेड पे	रू. 3200+ महंगाई भत्ता	रू. 1600 + महंगाई भत्ता
2.	ग्रेड पे रू. 4200/–, 4600/–, 4800/– और Rs.4200/- से कम ग्रेड पे, लेकिन पे बैंड में रू. 7440/– या अधिक वेतन ले रहे है।	रू. 1600+ महंगाई भत्ता	रू. 800 +महंगाई भत्ता
3.	रू. 4200/– से कम ग्रेड पे तथा पे बैंड मे वेतन रू. 7440/– से कम प्राप्त कर रहे है।	रू. 600 + महंगाई भत्ता	रू. 400 + महंगाई भत्ता

परिवहन भत्ते की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

(i) दृष्टिहीन या शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी सामान्य से दुगुनी दर पर यह भत्ता लेते रहेंगे जो किसी भी स्थिति में रू. 1000/– प्रतिमाह तथा उस पर देय महंगाई भत्ते की लागू दर से कम नहीं होगा। यह रेलवे बोर्ड के पत्र सं. F(E)-I-78/AL-7/8 dt 23.10.1978 में दिए गए निदेर्शो के अध्यधीन होगा ।

यह विनिश्चित किया गया है कि मूक व बधिर कर्मचारियों को भी यह भत्ता उसी दर से दिया जाएगा जिससे कि दृष्टिहीन व शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को दिया जाता है। (RBE111/08,28/14)

(ii) यह भत्ता उन कर्मचारियों को देय नही होगा जिनको सरकारी परिवहन सुविधा प्रदान की गई है ।

(iii) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. PC-V/97/1/7/12 Dt. 16.12.1997 (RBE 179/97) के पैरा नं 2 (ii) में उल्लिखित शर्त जिसके द्वारा उन कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की स्वीकृति नहीं दी गई जिनको कार्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में सरकारी आवास प्राप्त था या एक कैम्पस में कार्यालय तथा आवास था, वह शर्त वापस ले ली गई है । यह दृष्टिहीन व भाारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। (RBE 31/10)

(iv) उन कर्मचारियों के संबंध में पूर्व संशोधित वेतन श्रृंखला में बने रहने का विकल्प देते है उनके परिवहन भत्ते का निर्धारण रेल सेवाएं संशोधित वेतन नियम 2008 में दिए गए निर्देशों के अनुसार वेतनमान के अनुकूल ग्रेड पे / 01.01.2006 को धारित पद के अनुकूल वेतनमान के द्वारा किया जाएगा ।

(v) ऐसे अधिकारी जो 10,000 तथा 12,000 ग्रेड पे ले रहे है और जो HAG + स्केल में है तथा जो सरकारी कार के हकदार है, उन्हे 7000 रू. प्रतिमाह + इस पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने की वर्तमान सुविधा को लेने का विकल्प दिया जाएगा। किसी भी अधिकारी को दोनों लाभों यथा परिवहन भत्ता और सरकारी वाहन प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

(vi) ऐसे कर्मचारियो के मामलें में जो वर्तमान में किसी भी प्रकार के आवासीय कार्ड पास की सुविधा का लाभ उठा रहे है (जिसमें पति–पत्नि और बच्चे, बच्चों की स्कूल RCP इत्यादि शामिल है) उन्हें विकल्प दिया जाएगा । यदि वे परिवहन भत्ते का विकल्प देते है तो उन पर लागू दर के अनुसार उन्हे परिवहन भत्ते का भुगतान किया जा सकता है जो इस शर्त के अधीन होगा कि किसी भी प्रकार की वर्तमान RCP सुविधा के साथ गैर सरकारी कार्यो के लिए कार्ड पास/मेटल पास पर उपनगरीय भाग में यात्रा की सुविधा परिवहन भत्ते का विकल्प देने की तिथी से वापस ले ली जाएगी ।

उपरोक्त में आंशिक संशोधन करते हुए यह विनिर्णित किया गया कि जो कर्मचारी पहले से आवासीय कार्य पास (RCP) सुविधा प्राप्त कर रहे थे उन्हे भी परिवहन भत्ता देय होगा तथा साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आवासीय कार्ड पास के दायरे में भविष्य में किसी अन्य रेलवे या खण्ड को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह आदेश दिनांक 01.09.08 से प्रभावी होगा । (RBE 16/09,71/10)

(vii) ऐसे कर्मचारियों के मामलें में जो वर्कमेंन ट्रेन सुविधा का उपयोग कर रहे है, उन्हे समूह के रूप में एक विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे वर्तमान सुविधा का उपयोग करें अन्यथा परिवहन भत्ते का भुगतान प्राप्त करें।

(viii) शारीरिक रूप से विकलांग अस्थाई ओहदा प्राप्त नैमेतिक श्रमिक भी रेलवे बोर्ड के पत्र सं F (E)-1-78/AL-7/8 Dated 23.10.1978 (NR PS 7155) में निहित नियम एंव शर्तो के अधीन सामान्य से दुगनी दर पर परिवहन भत्ते के हकदार होगें ।

(ix) यदि रेल सेवक छुटटी, प्रशिक्षण, दौरा इत्यादी कारणों से पूरे केलेण्डर माह अनुपस्थित रहता हैं तो परिवहन भत्ता देय नहीं होगा। 24.11.2003 से पुर्व के मामलों में ड्यूटी से 30 से अधिक दिनों की अनुपस्थिति से आशय उस अनुपस्थिति से है जो मुख्यालय/तैनाती स्थल से छुटटी/प्रशिक्षण/दौरा इत्यादि कारणों से 30 से अधिक दिनों की अवधि के लिए हो तथा परिवहन भत्ता उस सम्पूर्ण अवधि के लिए देय नहीं होगा, जब ये अवधि 30 दिन से अधिक हो। यदि ऐसी अनुपस्थिति एक से अधिक केलेण्डर माह में होती है तो प्रत्येक माह में अनुपस्थिति दिनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन भत्ते में यथानुपात कमी की जाएगी। यदि ऐसी अनुपस्थिति 30 दिनों से अधिक नहीं है तो परिवहन भत्ता पूर्णतः देय होगा जिसका इस तथ्य से कोई सम्बन्ध नहीं होगा कि 30 दिन एक केलेण्डर माह बनाते है या नहीं ।

दिनांक 24.11.2003 या उसके बाद के मामलों में ड्यूटी से अनुपस्थिति एक से अधिक केलेण्डर माह में विभाजित है तो परिवहन भत्ता उस केलेण्डर माह के लिए देय नहीं होगा जिस पूरे माह में कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है। अगर ऐसी

अनुपस्थिति किसी पूरे केलेण्डर माह के लिए नहीं हैं तो पूरे कलेण्डर माह का परिवहन भत्ता देय होगा ।

(x) परिवहन भत्ता निलम्बित कर्मचारी को ऐसी अवधि के दौरान देय नहीं होगा, अवधि चाहें जो भी हो, और भले ही इस अवधि को बाद में चाहें ड्यूटी ही मान लिया जाए।

(xi) रनिंग कोटि के कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की भुगतान गणना में 30% वेतन तत्व को नहीं जोड़ा जायेगा ।

(xii) DACP or non functional in situ upgradation के अर्न्तगत ग्रेड पे 10,000/पी.बी.–4 में उन्नयन अधिकारी रू 700/– की दर से परिवहन भत्ता प्राप्त करने के योग्य नहीं होगें। लेकिन DACP के अर्न्तगत ग्रेड पे 10,000 में पदोन्नत IRMS अधिकारी 700/– की दर से परिवहन भत्ता भुगतान हेतु SAG अधिकारी के समकक्ष माना जायेगा। (RBE 100/14)

नान प्रेक्टिसिंग अलाउन्सेस : (RBE 122/08)

दन्त चिकित्सकों सहित रेलवे अस्पतालों में कार्यरत्त चिकित्सक निजी प्रेक्टिस नहीं करने के बदले में नान प्रेक्टिसिंग अलाउन्सेस के हकदार होगें। यह पे बैंड में वेतन और ग्रेड पे का 25% इस शर्त के अधिन होगा कि मूल वेतन + NPA मिलाकर 85000/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिये। महंगाई भत्ते, परिवहन भत्ते, दैनिक भत्ते तथा सेवानिवृति लाभों सहित अन्य भत्तों की गणना करते समय NPA को वेतन के रूप में माना जाएगा ।

रेलवे चिकित्सकों को स्नातकोत्तर तथा वार्षिक भत्ताः (RBE 114/09)

रेलवे में कार्यरत्त स्नातकोत्तर योग्यताधारी चिकित्सक स्नातकोत्तर भत्ते के हकदार हैं। इस भत्ते की संशोधित दरें जो 01.09.08 से प्रभावी है, निम्नलिखित है :–

स्नातकोत्तर भत्ता :

क्रस	श्रेणी	01.09.08 से दर	01.01.11 से दर	01.01.14 से दर
अ	स्नातकोत्तर योग्यताधारी गैर क्रियात्मक चयन ग्रेड के स्तर तक के रेल चिकित्सक जो इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट – 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ।	रू. 1000/– प्रतिमाह	रू. 1250/– प्रतिमाह	रू. 1500/– प्रतिमाह
ब	स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यताधारी गैर क्रियात्मक चयन ग्रेड़ के स्तर तक के सामान्य ड्यूटी चिकित्सक जो इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ।	रू. 600/– प्रतिमाह	रू. 750/– प्रतिमाह	रू. 900/– प्रतिमाह

{यह भत्ता तब देय नहीं होगा जहाँ किसी पद पर नियुक्ति हेतु स्नातकोत्तर डिग्री होना निर्धारित किया गया हो (Para 1426 (2) (C) IREC –II)}

वर्षिक भत्ता ::

a.	स्नातकोत्तर योग्यताधारी रेलवे चिकित्सक जो इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट –1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ।	रू. 1000/– प्रतिमाह	रू.1250/– प्रतिमाह	रू. 1500/– प्रतिमाह
b.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सक जिनके पास स्नातकोत्तर योग्यता नहीं है या जिनके पास गैर मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता है ।	रू. 600/– प्रतिमाह	रू. 750/– प्रतिमाह	रू. 900/– प्रतिमाह

जब भी मंहगाई भत्ता 5% तक पहुंच जाएगा तो इन भत्तों की दरें 25% तक बढ़ाई जाएगी ।

6\. रेलवे चिकित्सा अधिकारी को वाहन भत्ता (RBE 135/09)

रेलवे चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक कार्य घण्टों के अलावा आवासीय/घरेलु विजिट पर जाने और अन्य राजकीय कर्त्तव्यों के पालन के लिए निम्नलिखित दरों पर वाहन भत्ते के हकदार होंगे ।

क्रस	वाहन का प्रकार	अधिकतम प्रतिमाह					
	w.e.f.	1.9.08	1.9.09	1.9.10	1.9.11	1.9.12	1.9.13
1	उनके लिए जिनके पास स्वयं की कार है।	3300/–	3663/–	4257/–	4686/–	5148/–	5742/–
2	उनके लिए जिनके पास स्कूटर मोटर साईकल है	1080/–	1199/–	1393/–	1533/–	1684/–	1878/–
3	उनके लिए जिनके पास न तो कार है नही मोटर साईकिल /स्कूटर है ।	900/–	999/–	1161/–	1178/–	1304/–	1466/–

अधिकतम भत्ते के हक के लिए RBE No. 135/09 में निहित शर्तो को पूरा करना होगा जिसमें एक माह में न्यूनतम 20 दौरे और इसमें 50% आवासीय दौरे कार्य घंटों के पश्चात होने चाहिए जिसमें न्यूनतम 6 चिकित्सालय का आवासीय दौरे शामिल है ।

कार्यग्रहण समय, अवकाश तथा अस्थाई स्थानान्तरण की किसी अवधि के दौरान कोई वाहन भत्ता देय नहीं होगा तथा शहर की नगर पालिका की सीमा में 08 या अधिक किलोमीटर की सरकारी यात्रा हेतु अधिकारी किसी दैनिक/माईलेज भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

वाहन भत्ते की दर प्रतिवर्ष मंहगाई भत्तें में वृद्दि के साथ ही संशोधित होगी।

7\. नर्सिंग भत्ताः (RBE 24/09)

रेलवे अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ जो इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल एक्ट के अनुसार पंजीकृत है वे नीचे दिए गए भत्तों के हकदार है :–

मुख्यतः सभी नर्सेज चाहे स्त्री हो या पुरूष या सिस्टर इन्चार्ज, मेट्रन, मिडवाइफ तथा लेडी हैल्थ विजिटर इत्यादि को नर्सिंग स्टाफ माना गया है। अब ये भत्ते ANM को भी देय है। (RBE 77/92)

क्रस	भत्ता	01.09.08	01.01.11	01.01.14
a	नर्सिंग भत्ता	रू. 3200/– प्रतिमाह	रू. 4000/– प्रतिमाह	रू. 4800/– प्रतिमाह
b	धुलाई भत्ता	रू. 300/– प्रतिमाह	रू. 375/– प्रतिमाह	रू. 450/– प्रतिमाह
c	युनिफार्म	रू. 6000/– प्रतिमाह	रू. 7500/– प्रतिमाह	रू. 9000/– प्रतिमाह

नोटः

(क) युनिफार्म भत्ता रेल प्रशासन के विवेकानुसार मासिक या वार्षिक आधार पर दिया जा सकता है।

(ख) युनिफार्म भत्ता अवकाश/छुट्टी के दौरान देय होगा तथा नियमों में वर्णित शर्तो के अधीन होगा। भत्ता वार्षिक आधार पर दिये जाने की स्थिति में यदि सभी प्रकार की छुटियों की कुल अवधि चार माह से अधिक हो तो भत्ते में अनुपातिक कमी की जानी चाहिए ।

(ग) यदि एक समय में छुट्टी की अवधि 15 दिनों से अधिक हो तो धुलाई भत्ता देय

	नहीं होगा । (घ) नर्सिंग स्टाफ जिन्हे भोजन भत्ता देय है, उन्हे छुटियों के दौरान इंगित सीमा तक इस भत्ते की निकासी की इजाजत दी जानी चाहिये – (i) यदि छुट्टी की अवधि औसत वेतन / पूरे वेतन पर है तो भोजन भत्ता अधिकतम दर (Full rate) पर देय होगा । (ii) यदि छुट्टी की अवधि आधे वेतन/ आधे औसत वेतन पर है तो भोजन भत्ता समान्य से आधी दर पर देय होगा । (iii) यदि छुट्टी की अवधि बिना वेतन के है तो भोजन भत्ता देय नही होगा । (iv) मातृत्व अवकाश या चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर छुटृटी के दौरान भोजन भत्ता उपर वर्णित आधार पर देय होगा । (v) नर्सिंग भत्ते को वेतन नहीं माना जायेगा । (vi) जब भी मंहगाई भत्ता 50% हो जायेगा जब इस भत्ते की दर स्वतः ही 25 % बढा दी जावेगी । (vii) सहायक नर्सिंग अधिकार नर्सिंग भत्ते के पात्र नहीं है । {RLY.Bds L.NO E(P&A) 1-2012/AL/1 dt. 13-0514 (NWR PS 45/14)}
8	चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता : (RBE 01/08, 56/13) रेलवे अस्पतालों तथा हैल्थ यूनिट्स/क्लीनिक्स में कार्यरत समूह ''ग'' और ''घ'' (गैर मंत्रालयीय) के रेल कमर्चारियों हेतु नीचे वर्णित अनुसार चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता और रोगी परिचर्या भत्ता शुरू किया गया है जो 01.01.2008 से प्रभावी है:– 1.चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता तथा रोगी परिचर्या भत्ते की स्वीकृति निम्न भार्तो के पूरा करने के अधीन होगी :– a- इन भत्तों की स्वीकृति रेलवे अस्पतालों तथा हैल्थ/यूनिट्स/क्लीनिक्स में कार्यरत समूह ''ग'' और ''घ'' (गैर मंत्रालयीय) के निम्नलिखित रेल कर्मचारियों तक सीमित होगी। 1. फार्मासिस्ट (स्टोर फार्मासिस्ट के अलावा जो दवाइयों के वितरण कार्य में शामिल नहीं है) 2. चिकित्सा तकनीशियन जिन्हें रोगियों के साथ सीधे सम्पर्क में रहना पड़ता है (ECG, EEG, कार्डियो पम्प, डायलिसिस इत्यादि) 3. एम्बुलेन्स ड्राईवर 4. एक्बुलेन्स क्लीनर 5. ड्रेसर 6. ऑपरेशन थियेटर सहायक 7. अटेंडेंट/आया 8. रेडियोग्राफर 9. स्ट्रेचर बीयरर/वाहक 10. सफाईवाला 11. लेबोरेटरी स्टाफ 12. Dental Hygienists Physiotherapist /occupational Therapists (RBE 87/15) b- चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता उपर उल्लेखित समूह –ग और घ (गैर मंत्रालयीय) के उन रेल, कर्मियों को देय होगा जो या तो 30 या अधिक शय्याओं वाले रेलवे अस्पताल में कार्यरत है या 10 या अधिक शय्याओं वाले Super speciality रेलवें अस्पताल में कार्यरत है । c- रोगी परिचर्या भत्ता उपर उल्लेखित समूह –ग व घ गैर मंत्रालयीय के उन रेल कर्मियों को देय होगा जो या तो 30 से कम शय्याओं वाले रेलवे अस्पताल या (ii) 10 या कम शय्याओं वाले Super speciality रेलवें अस्पताल या (iii) रेलवे हैल्थ यूनिट यूनिट क्लीनिक में कार्यरत है।
(d)	चिकित्सालय रोगी परिचर्या भत्ता उपर उल्लेखित समूह–ग (गैर मंत्रालयिक) रेल कर्मिकों को रू. 700/–प्रतिमाह दिनांक 01.01.08 से, 1400/– दिनांक 01.09.08 , 1750/– दिनांक 01.01.11 व रू. 2100/– दिनांक 01.01.14 से तथा उपर उल्लेखित समूह –घ (गैर मंत्रालयीय) रेल कर्मिकों को रू. 695/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.08 से, 1390/– दिनांक 01.09.08 , 1738/– दिनांक 01. 01.11 व रू. 2085 दिनांक 01.01.14 से की दर से देय होगा। (RBE 15/13)

(e)	रोगी परिचर्या भत्ता उपर उल्लेखित समूह ''ग'' और ''घ'' (गैर मंत्रालयीय) के रेल कर्मिकों को रू. 690/- प्रतिमाह दिनांक 01.01.08 से , 1380/- दिनांक 01.09.08 , 1725 दिनांक 01.01.11 व रू. 2070/- दिनांक 01.01.14 से की दर से देय होगा । (RBE 15/13)

(f)	यदि उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ता और/जोखिम भत्ता देय है तो अब यह दिनांक 01.01.2008 से देय नहीं होगा ।

<table>
<tr><td>(g)</td><td>इस भत्ते को अब जोखिम बीमा भत्ते के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। (RBE 118 &129/09)</td></tr>
<tr><td>(h)</td><td>यह भत्ता (HPCA/PCA) उस समय तक लगातार दिया जाएगा जब तक जोखिम बीमा योजना लागू नहीं हो जाती । (RBE 07/10)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>मंहगाई भत्ते की दर 50% होने पर इस भत्ते की दर स्वतः ही 25% बढ़ जाएगी तथा यह भत्ता (HPCA/PCA) निम्न शर्तो के अधीन होगा :–
(क) कर्मचारी के एक माह से कम कलैण्डर अवधि पर अवकाश/प्रशिक्षण में जाने पर भी यह भत्ते (HPCA/PCA) देय होगें ।
(ख) कर्मचारी के एक माह से कम कलैण्डर अवधि पर अवकाश/प्रशिक्षण में जाने पर भी यह भत्ता देय नहीं होगा ।
(ग)अनाधिकृत अनुपस्थिति अवकाश में यह भत्ते देय नहीं होगा। (RBE 15/13)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>रनिंग स्टाफ को दय भत्ते
रेलवे में रनिंग ड्यूटी का निष्पादन करने वाले स्टॉफ को विभिन्न प्रकार के भत्ते देय है । रनिंग ड्यूटी का आशय उस ड्यूटी से है जो सीधे तौर पर गाड़ी के परिचालन से संबंधित है तथा चलायमान गाड़ी या इंजिन में नियुक्त रनिंग स्टॉफ द्वारा निष्पादित की जाती है। रनिंग ड्यूटी निष्पादित करने वाले रनिंग कर्मचारी नीचे दी गई श्रेणियों से सम्बन्धित होगें।
<table>
<tr><td>क्रस</td><td>लोको</td><td>यातायात</td></tr>
<tr><td>01.</td><td>ड्राईवर लोको पायलट मोटर मेंन और रेल मोटर ड्राईवर सहित</td><td>1. गार्ड</td></tr>
<tr><td>02.</td><td>शंटर</td><td>2. सहायक गाड</td></tr>
<tr><td>03.</td><td>फायरमेंन, डीजल सहायक, बिजली सहायक व सहायक स्टाफ (ALO)</td><td></td></tr>
</table>
रनिंग भत्ते का आशय उस भत्ते से है जो रनिंग स्टाफ को चलायमान ट्रेनों से सीधे तौर पर जुड़ी ड्यूटी के निष्पादन हेतु दिया जाता है ।
<u>रनिंग भत्ते की वेतन के रूप में गणना करना :</u>
रनिंग स्टाफ का 30 प्रतिशत मूल वेतन रनिंग भत्तों में वेतन तत्व (Pay element) के प्रतिनिधित्व हेतु वेतन माना जाएगा । यह निम्न उद्देश्यों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा ।
1. पास/पीटीओ के दर्जे के हक हेतु
2. चिकित्सा परिचर्या और इलाज
3. शैक्षिक सहायक
4. मकान किराया भत्ता
5. रेलवे आवास के प्रकार/दर्जे का हक
6. रेलवे आवास के किराए की वसूली
7. स्थिर पदों में वेतन निर्धारण
8. मंहगाई भत्ता
9. समायोपरी भत्ता
10. छुट्टी नगदीकरण
आयकर के आंकलन हेतु 30% वेतन को वेतन का अंग माना जाएगा, परन्तु सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए 55% मूल वेतन माना जाएगा। छुट्टी नगदीकरण हेतु 30% वेतन को गिना जाएगा।

रनिंग स्टॉफ को निम्नलिखित भत्ते देय होंगे:–
a) किलोमीटर भत्ता
b) रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता
c)छुट्टी /आराम में अवरोध भत्ता (Breach of rest allowance)
d)बाह्य स्टेशन पर रोकने (detention) का भता
e)बाह्य स्टेशन (मुक्ति) भत्ता
f)दुर्घटना भत्ता</td></tr>
</table>

g)स्थानापन्न भत्ता
h)न्यूनतम गारंटीड किलोमीटररेज भत्ता
i)प्रतिक्षा ड्यूटी भत्ता
j)घाट खण्ड भत्ता
k)ट्रिप भत्ता
l)छुट्टी माईलेज भत्ता

(A) किलोमीटर भत्ता (Para 90 IREM-01)

यह भत्ता रनिंग स्टाफ को निर्धारित दरों पर रनिंग ड्यूटी के निष्पादन हेतु दिया जाता है। किलोमीटरेज की गणना वर्किंग टाइम टेबल में दी गई दूरी के अनुसार की जाएगी । शंटर तथा अन्य रनिंग स्टाफ जो शंटिंग इंजन पर कार्य करते है उन्हे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से किलोमीटर भत्ता का भुगतान किया जाता है। रनिंग स्टाफ के कार्य घंटों की गणना Signing on से Signing off तक की जाती है। रनिंग स्टॉफ HOER के लगातार वर्गीकरण के अंतर्गत आता है।

जब रनिंग स्टाफ नॉन–रनिंग /स्टेशनरी ड्यूटी का निष्पादन करते है तो वे किलोमीटर की एवज में निर्धारित दरों के अनुसार भत्ते के हकदार होगें ।

अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में ट्रेफिक अप्रेन्टिस द्वारा गार्ड के रूप में कार्य करने पर वह किलोमीटर भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

{Rly Bd's letter no- E(P&A) 11&2004/RS-19dt 15-7-11 (NWR PS 51/11)}

(Para 908 IREM &RBE 181/09)

(B)रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता :

1. बाह्य स्टेशनों पर, जहाँ रनिंग स्टॉफ हेतु रनिंग रूम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता देय है ।
2. यह भत्ता रोड़ साईड (road Side) स्टेशनों हेतु देय है, जिसका इससे सम्बन्ध नहीं है कि गाड़ी का वहां आवसान (terminate) होता है या नहीं।
3. ऐसे रनिंग रूम के सम्बन्ध में जहाँ रसोईये उपलब्ध नहीं कराए गए है, यह भत्ता निर्धारित दर से आधी दर पर देय होगा ।
4. बैलास्ट तथा मेटेरियल ट्रेन और ट्रेन शिप गुड्स वेन के मामलें में चालक आराम गाड़ी में आराम करने वाले स्टॉफ को ठहराव के दौरान रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में आधी दर पर भत्ते का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि आराम गाड़ी में रसोईये उपलब्ध नहीं करवाये जाते।
5. यह भत्ता देय नहीं होगा यदि आराम की सुविधाए उपलब्ध करवा दी जाती हैं, चाहे रनिंग रूम अस्तित्व में न हो ।
6. यह भत्ता उस रनिंग स्टाफ को भी देय नहीं होगा जिन्हे बाह्य स्टेशनों पर स्टेशनरी ड्यूटी हेतू नहीं भेजा जाता है ।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब भी मंहगाई भत्ता 50% तक पहुँच जायेगा।(RBE 36/14)

;ब्द्ध विश्राम भंग भत्ता / Breach of rest : (Para 909 IREM-I)

(i) विश्राम भंग भत्ता उस रनिंग स्टॉफ को दिया जाएगा जिन्हें निम्न परिस्थितियों में रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता है।

(A) जब रनिंग स्टॉफ एक गाड़ी को बाह्य स्टेशन लेकर जाता है। और मुख्यालय लौटता है, जो रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता हैं ।

(a) मुख्यालय पर 16 घंटे का आराम पुर्ण होने से पूर्व जब कि आराम से तुरन्त पूर्व डयूटी की अवधी 8 घंटे या अधिक हो, और

(b) मुख्यालय पर 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जब कि आराम से तुरन्त पूर्व ड्यूटी की अवधी 8 घंटे या कम हो

(B) जब रनिंग स्टॉफ जैसे शंटर और उपनगरीय क्षैत्रो मे सेवाए देने वाला स्टाफ जो दैनिक आराम मुख्यालय पर करते है। उन्है रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता है।

(a) 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से पूर्व ड्यूटी की कुल अवधि 8 घंटे या अधिक हो और

(b) 8 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से तुरंत पूर्व ड्यूटी की अवधि 8 घंटे से कम हो ।

(ii) यह भत्ता कार्य घंटे नियमों के अंतर्गत समयोपरि भत्ते के रूप में देय होगा । निर्धारित आराम के घंटों में होने वाली कमी पर प्रति घंटे हेतु 2 घंटे की दर से दिया जाएगा । आधे घण्टे से कम अवधि की उपेक्षा की जाएगी व आधे घंटे व अधिक की प्रत्येक अवधि को एक घंटा माना जाएगा ।

(D) बाह्य स्टेशन पर ठहराव भत्ताः (Para 910 IREM-I & RBE 181/09)

Signing off के पश्चात बाहय स्टेशन पर रनिंग स्टॉफ को 16 घंटे से अधिक रोका जाता है तो वे इस भत्ते के हकदार होंगे यह भत्ता Signing off के समय से 16 घंटे बीत जाने के पश्चात प्रत्येक 24 घंटे के लिए 70 किलोमीटर की दर से दिया जाएगा ।

(E) बाह्य स्टेशन (कार्य मुक्ति) भत्ता : (Para 911 IREM-I)

1. यह भत्ता रनिंग स्टॉफ को मुख्यालय से बाहर स्टेशनों पर अस्थायी रूप से कार्य करने हेतु लगाये जाने पर देय होगा, चाहे वे रनिंग ड्यूटी पर हो या स्टेशनरी पर। बाह्य स्टेशन (ठहराव) भत्ता नियमों में निर्धारित दरों के अनुसार उन्हे बाह्य स्टेशन पर आगमन की तिथि से प्रत्येक दिन हेतु इस भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।
2. भत्ते का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा –
   a) जब रनिंग स्टॉफ को उच्चतर पदों पर कार्य करने हेतु बाह्य स्टेशनों पर भेजा जाता है तो भत्ता केवल 14 दिनों की अवधि हेतु दिया जाएगा ।
   b) जब रनिंग स्टॉफ को समान पद पर कार्य हेतु बाहय स्टेशन पर भेजा जाता है तो भत्ता अधिकतम दो माह की अवधि हेतु दिया जाएगा ।
   c) कार्यमुक्ति (Relieving) स्टेशन तक और वापसी यात्रा को ड्यूटी माना जाएगा, चाहे स्पेयर हो या रनिंग तथा इसके अनुसार भत्ता दिया जाएगा ।

(F) दुर्घटना भत्ताः (Para 911 IREM-I)

वह रनिंग स्टापफ जिसे किसी भी स्टेशन पर मुख्यालय से बाहर दुर्घटना के कारण 8 घंटे से अधिक रोका जाता है उन्हे दुर्घटना भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।बाहय स्टेशन /ठहराव भत्ते के नियमों में निर्धारित दर के अनुसार इसकी गणना ठहराव का समय आरम्भ होने से प्रत्येक 24 घंटे या इसके अंश के आधार पर की जाएगी । यदि ठहराव की अवधि 8 घंटे से कम होती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, परन्तु वे घण्टे जिनके लिए स्टॉफ को रोका गया है, उन्हे कार्य घंटों के रूप में गिना जाएगा।

(G) स्थानापन्न भत्ता : (Para 913 IREM -I)

रनिंग पदों में स्थानापन्न कार्य करने वाले रनिंग स्टाफ के संबंध में स्थानापन्न भत्ते का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा –

(i) (a) जब रनिंग स्टॉफ को 30 या इससे कम दिनों के लिए रनिंग पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य हेतु तैनात किया जाता है तो वे निम्न ग्रेड में यथा अनुज्ञेय वेतन और 15 प्रतिशत की वृद्वि सहित उस उच्चतर ग्रेड में रनिंग भत्ते के हकदार होंगे ।

(b) जब रनिंग स्टॉफ को 30 दिनों से अधिक हेतु स्थानापन्न कार्य पर लगाया जाता है तो उच्चतर पद पर उनका वेतन सामान्य नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

(ii) (a) जब रंनिग स्टॉफ को 30 से अधिक दिनों हेतु स्टेशनरी पद पर स्थानापन्न नियुक्त किया जाता है तो उनके वेतन का निर्धारण निम्नतर पद पर वेतन तथा इस पर 30% , जो रनिंग भत्ते में वेतन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, के आधार पर किया जाएगा ।

(b) स्टेशनरी पदों पर 30 या इससे कम दिनों हेतु स्थानापन्न नियुक्त किए गए रनिंग स्टॉफ का वेतन निर्धारण भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल के पैरा 911 (ii) (a) के अनुसार निर्धारित होगा।

(iii) ऐसे मामलों में जहाॅ स्थानापन्न व्यवस्था आरम्भिक तौर पर 30 से अधिक दिनों हेतु अनुमोदित की गई है वहां वेतन निर्धारण के सामान्य नियम लागू होंगे। जहाँ आरम्भिक रूप से यह अवधि 30 दिन है वहां 30 दिनों तक लिए जाने वाले बढ़े हुए किलोमीटरेज भत्ते की स्वीकृति होगी, लेकिन 30 से अधिक दिनों हेतु भुगतान पदोन्नति पर सामान्य वेतन निर्धारण के नियमों के अनुसार होगा।

(H) न्यूनतम गारंटेड किलोमीटरेज भत्ता : (Para 914 of IREM-I)

प्रत्येक रेलवे ऐसे सेक्शन और परिस्थितियों को चिन्हित करेगा जो रनिंग स्टाफ द्वारा निर्धारित कार्य घंटों के दौरान पर्याप्त किलोमीटरेज अर्जित करने में सक्षम न हो। इन चिन्हित सेक्शनों और परिस्थितियों हेतु रनिंग स्टाफ को निर्धारित कार्य घंटो हेतु 120 किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा।

(i) प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता : (Para 921 of IREM-I)

रनिंग स्टाफ के 10 घंटे तक प्रतीक्षा ड्यूटी पर रहने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से निम्न मामलों में भुगतान किया जाएगाः–

(a) प्रतीक्षा/स्टेण्ड बाय ड्यूटी रोस्टर अनुसार

(b) स्टेशन ड्यूटी जिसमें गाड़ी रद्द होने पर ठहराव या ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने के पश्चात स्टाफ की बुकिंग रद्द होना भाामिल है।

(J) घाट सेक्शन भत्ताः (Para 922 of IREM-I)

घाट सेक्शन में चलने वाली गाड़ियों में कार्यरत रनिंग स्टाफ को रनिंग भत्ता देने के लिए किलोमीटरेज की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी –

(a) जब रनिंग स्टाफ गाड़ी को ऐसे सभी घाट सेक्शनों में चला रहे हो जहाँ बैंकर वास्तविक रूप से गाड़ी की मदद करता हो तो किलोमीटरेज की गणना वास्तविक दूरी से 5 गुणा (अधिक) की जाएगी।

(b) अन्य सभी मामलों में (इसमें वह भी भाामिल है जब बैंकिंग इंजन को एक लाइट इंजन के रूप में चलाया जाता है या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है) क्लास–I घाट सेक्शन के मामले में भत्ते की गणना वास्तविक दूरी से 5गुणा (अधिक) की जाएगी तथा क्लास–II घाट सेक्शन के मामलें में वास्तवीक दूरी से दुगना (अधिक) की जायेगी।

(K) ट्रिप भत्ता (उच्च गति गाड़ियॉ) : (Para 923 of IREM-I, RBE 181/09)

रनिंग स्टाफ को ट्रिप भत्ते के भुगतान हेतु किसी गाड़ी को उच्च गति गाड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जायेंगे–

(a) अधिकतम स्वीकृत गति सीमा B.G. की स्थिति में 110kmph तथा M.G. की स्थिति में 100kmph से कम नहीं होनी चाहिए।

(b) ऊपर बताई गई अधिकतम स्वीकृत गति सीमा गाड़ी की कुल दौड़ की कम से कम 50% तक प्राप्त की जानी चाहिए।

(c) औसत गति B.G. सेक्शन पर 66kmph तथा M.G. सेक्शन पर 60kmph से कम नहीं होनी चाहिए। सिरों/गंतव्यों के बीच की न्यूनतम दूरी B.G. सेक्शन पर 400km तथा M.G. सेक्शन पर 300km होनी चाहिए।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुॅच जायेगा। (RBE 36/14)

(L) लीव माइलेज भत्ता :

जब रनिंग स्टाफ छुट्टी पर रहता है तो उसे अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए छुट्टी माइलेज भत्ता दिया जाएगा।

छुट्टी माईलेज अलाउन्स की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

छुट्टी माईलेज अलाउन्स = $\frac{\text{मूल वेतन का 30\%}}{\text{महीने के दिनों की संख्या}}$ X ली गई छुट्टी

(10) ब्रेक डाउन भत्ता : (Para 704 of IREM-I, RBE 177/09)

जब कोई गाड़ी ट्रेक से उतर जाती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे आवागमन में बाधा पहुंचती है, तो यह ब्रेक डाउन की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। रास्ते पर आवागमन की शीघ्र बहाली के लिए नजदीकी ब्रेक डाउन डिपो से स्टाफ, सामग्री, उपकरणों एवं संयंत्र की व्यवस्था की जाती है।

इस उद्देश्य के लिए विभिन्न विभागों जैसेः– लोकों, कैरेज और वैगन, परिचालन, सिविल इंजी0, सिगनल एवं दूर संचार, बिजली इत्यादि के स्टाफ को चिन्हित (Year mark) किया जाता है और ऐसे स्टाफ को निर्धारित दरों पर ब्रेक डाउन भत्ता देय होता है।

ब्रेक डाउन ड्यूटी हेतु नामित स्टाफ को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की जाएगी। जहाँ कार्यस्थल पर भोजन की आपूर्ति सम्भव न हो, उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा।

ड्यूटी स्थल से दुर्घटना स्थल तथा ड्यूटी स्थान तक वापसी यात्रा का पूरा समय, दुर्घटना स्थल पर कार्य में बिताया गया पूरा समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिए ड्यूटी माना जाएगा।

ब्रेक डाउन ड्यूटी हेतु नामित व्यक्ति 100% की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा, जिसका इस तथ्य से कोई संबंध नहीं होगा कि स्टाफ मुख्यालय से 08 किमी0 से अधिक दूर गया या नहीं या 12 घंटे से अधिक कार्य किया या नहीं।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

(11) आउट टर्न भत्ताः (Para 705 of IREM-I)

भारतीय रेलवे में कार्यरत सिगनलर्स (टेलीग्राफ), टेलीप्रिन्टर तथा वायरलेस ऑपरेटर को अपनी 8/6 घंटों की ड्यूटी के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक संदेश (भेजने/प्राप्त करने) पर प्रति संदेश हेतु पारिश्रमिक दिया जायेगा। प्रत्येक ड्यूटी में इन श्रेणियों के स्टाफ द्वारा निम्नलिखित संख्या में संदेश (handle) करने होते हैं –

टेलीग्राफ सिगनलर	100	टेलीप्रिन्टर ऑपरेटर	250
वायरलेस ऑपरेटर	80	नेट ऑपरेटर	60

इस उद्देश्य हेतु 44 भाब्दों को एक संदेश माना जाएगा। 44 से अधिक लेकिन 74 शब्दों तक 2 संदेश माने जाएंगे। आउटर्न भत्ते के भुगतान हेतु 104 शब्दों तक 3 संदेश माने जाऐंगे। अतिरिक्त प्रति संदेश हेतु 10पैसे का भुगतान किया जाएगा। यह 01.08.97 से प्रभावी है। (RBE 37/90 & 209/99)

(12) धुलाई भत्ताः (Para 706 IREM & Rule 1422 R-II)

निम्नलिखित श्रेणियों में नियुक्त समूह–घ तथा मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ कार ड्राईवर समूह–ग जहाँ उनसे साफ सुथरे कपड़ों में होना अपेक्षित माना गया है, वे धुलाई भत्ते के हकदार हैं। यह भत्ता रू. 60 प्रतिमाह 01.09.2008, रू. 75/– प्रतिमाह 01.01.11 व रू. 90/– प्रतिमाह 01.01.14 से की दर से देय है।

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 01.05.15 द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि ग्रेड पे 1800 में कार्यरत ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें यूनिफॉर्म दी जाती हैं, उन्हें धुलाई भत्ता देय होगा। यह दिनांक 01.05.15 से प्रभावी होगा। (RBE 41/15)

i. स्कूलों में कार्यरत समूह–घ के वे रेल सेवक जिन्हें यूनिफॉर्म दी जाती है।
ii. अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों में कार्यरत समूह–घ का स्टाफ जैसे– एक्स–रे अटेंडेन्ट, प्रयोगशाला अटेंडेन्ट, अस्पताल चपरासी, आया, सफाईकर्मी और स्ट्रेचर बीयरर।
iii. स्टाफ कारों के ड्राईवर ।
iv. लिफ्ट अटेंडेन्ट (लिफ्टमेन)
v. RPF/RPS का समस्त अराजपत्रित स्टाफ।
vi. समूह–घ स्टाफ/चपरासी/मोटर ड्राईवर जिसमें वे कैजुअल लेबर भी भाामिल है जो मुख्यालय/प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत है या जो निर्माण इकाई/प्रोजेक्ट के DEN/IC से

व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं।

vii. एम्बुलेन्स कार ड्राईवर ।

viii. वातानुकूलित कोच अटेंडेन्ट ।

ix. प्रतीक्षालय/विश्रामालय अटेंडेन्ट/आया।

x. स्टेशन लिफ्ट अटेंडेन्ट ।

xi. प्रथम श्रेणी कोच अटेंडेन्ट ।

xii. स्टेशनों या ट्रेनों में खान–पान इकाईयों में कार्यरत समूह–घ स्टाफ।

viii. रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत सफाईवाले जो झाडू लगाने/प्लेटफॉर्म/स्टेशन भवन की सफाई में लगे हुए हैं।

ix. संवैधानिक/गैर संवैधानिक रेलवे केन्टीन में कार्यरत समूह–घ स्टाफ (CAT के निर्णयानुसार स्वीकृत)।

a. वाहक/बीयरर ।
b. हलवाई, सहा0हलवाई, कुक तथा चाय/काफी बनाने वाले ।
c. बर्तन साफ करने वाले ।
d. झाडू लगाने वाले । (RBE 137/08, 55/10)

xv. ट्रेक मेन्टेनर ग्रेड III व ग्रेड IV (ग्रेड पे 1900/– व 1800/–) (दिनांक 01.10.12 से)
(RBE 110/12)

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

नोट :– यदि छुट्टी की अवधि एक समय में 15 दिन से अधिक हो तो धुलाई भत्ता देय नहीं होगा। (Para 711 of IREM-I)

(13) निर्माण सर्वेक्षण प्रतिपूरक भत्ता : (Para 707 IREM-I)

निर्माण सर्वेक्षण प्रतिपूरक भत्ता निम्न दरों पर ओपन लाईन स्टाफ को देय होगा जो निर्माण एवं सर्वेक्षण कार्यों में लगाए गए हैं। यह भत्ता केवल सर्वेक्षण तथा रेल लाइनों के पुनर्निर्माण के मामले में देय होगा। यह बड़ी लाईन आमान परिवर्तन हेतु देय नहीं होगा। यह भत्ता रेलवे बोर्ड द्वारा विशेष निर्माण या सर्वेक्षण हेतु घोषित किया जाता है –

क्र स	ग्रेड वेतन	दर प्रतिमाह 01.09.08 से	दर प्रतिमाह 01.01.11 से	दर प्रतिमाह 01.01.14 से
1	रू. 5400/– ग्रेड वेतन तथा ऊपरी पदों हेतु HAG + वेतन श्रृंखला और ऊपरी	रू. 1500/-	रू. 1875/-	रू. 2250/-
2	रू. 5400/– ग्रेड वेतन से कम वाले पदों हेतु	रू. 1000/-	रू. 1250/-	रू. 1500/-

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

(14) परियोजना भत्ताः (Para 708 IREM)

परियोजना भत्ता केवल योग्य (qualified) बड़ी परियोजना हेतु देय है। यह भत्ता केवल तभी स्वीकृत किया जाता है जब परियोजना कार्य को बड़े निर्माण संगठन द्वारा किए जाने की आवश्यकता हो और ऐसा कार्य लम्बे समय तक चले। मुख्यतः यह भत्ता घर, स्कूल, बाजार, डिस्पेन्सरी इत्यादि सुविधाओं की कमी की क्षतिपूर्ति हेतु दिया जाता है।

कार्यालय स्टाफ जो परियोजन कार्य में सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं उन्हें यह भत्ता निर्धारित दर से आधा दिया जाएगा।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा।

इस भत्ते की दरें निम्न है – (RBE 177/08)

क. सं.	ग्रेड वेतन	दर प्रतिमाह 01.01.06 से	दर प्रतिमाह 01.01.11 से	दर प्रतिमाह 01.01.14 से
1	रू. 5400/– ग्रेड वेतन तथा ऊपरी पदों	रू. 1500/-	रू. 1875/-	रू. 2250/-

	हेतु HAG + वेतन श्रृंखला और ऊपरी			
2	रू. 5400/— ग्रेड वेतन से कम वाले पदों हेतु	रू. 1000/-	रू. 1250/-	रू. 1500/-

(15) यात्रा भत्ताः (Rule 1614 to 1620 of IREC-II)

रेल सेवक को अपने मुख्यालय से 8किमी0 से अधिक दूरी की यात्रा या वापसी हेतु उस दिन के लिए निर्धारित दर के अनुसार यात्रा भत्ता देय है।

यात्रा भत्ता मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के प्रत्येक दिन हेतु देय होगा जिसकी गणना मध्य रात्रि से मध्य रात्रि के आधार पर निम्न अनुपात में की जाएगी —

यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 6घंटे से अधिक न हो : यात्रा भत्ता का 30%

यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 12घंटे से अधिक न हो : यात्रा भत्ता का 70%

यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 12घंटे से अधिक हो : यात्रा भत्ता का 100%

यदि रेल सेवक ड्यूटी के दौरान छुट्टी/प्रतिबंधित अवका ा का उपयोग करता है तो उस दिन के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

जब रेल सेवक ड्यूटी पर मुख्यालय से बाहर रखता है तथा रहने तथा खाने की सुविधा ऐसे स्थान पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यात्रा भत्ता निम्नानुसार देय होगा। (Rule 1617 of IREC-II)

A. पहले 180 दिन : फुल रेट पर

B. 180 दिन से अधिक : शून्य (Rule 1618 of IREC-II)

मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि उस समय शुरू होगी जब रेल कर्मचारी मुख्यालय स्टेशन से रवाना होगा और उस समय समाप्त होगी जब वह उस स्टेशन पर वापसी करेगा जहाँ मुख्यालय स्थित है चाहे वह वहां रूके या नहीं। जब एक ट्रेन 15 मिनट तक देरी से पहुंचती है तो इस नियम के उद्देश्य से रेलवे टाईम टेबल में दिए गए समय पर आगमन माना जाएगा।

मुख्यालय कार्यालय से स्टेशन/एयरपोर्ट जाते समय की गई सड़क यात्रा को इस उद्देश्य के लिए इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। (Rule 1620 of IREC-II)

यात्रा भत्ता भुगतान हेतु रेल सेवकों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है —

		01.09.08 से	01.01.11 से	01.01.14 से
(i)	रू. 10000 से अधिक ग्रेड वेतन लेने वाले और जो HAG+तथा ऊपरी वेतन श्रृंखला में वेतन पाते हैं।	रू. 520/-	रू. 650/-	रू. 780/-
(ii)	रू. 7600 से रू. 8900 ग्रेड वेतन पाने वाले	रू. 460/-	रू. 575/-	रू. 690/-
(iii)	रू. 5400 से रू. 6600 ग्रेड वेतन पाने वाले	रू. 400/-	रू. 500/-	रू. 600/-
(iv)	रू. 4200 से रू. 4800 ग्रेड वेतन पाने वाले	रू. 340/-	रू. 425/-	रू. 510/-
(v)	रू. 4200 से कम ग्रेड वेतन पाने वाले	रू. 210/-	रू. 263/-	रू. 316/-

TA/DA हक निर्धारण हेतु ग्रेड वेतन/संशोधित TA/DA की दरें 01.09.08 से प्रभावी होगी।

इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जाएगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा। (RBE 192/08)

(16) वाहन भत्ताः (Rule 1606 IREC-II)

सक्षम प्राधिकारी ऐसी स्थितियों में जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे रेल सेवक को मासिक वाहन भत्ता स्वीकृत कर सकता है जिसे मुख्यालय से सघन या छोटी दूरियों की यात्राएं करनी पड़ती है और जिन परिस्थितियों में वह दैनिक भत्ता लेने का हकदार नहीं होता।

इस नियम में अन्यथा दिए गए प्रावधानों या स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के निर्देशों के अलावा वाहन भत्ता वर्ष भर लिया जा सकता है, मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान जब्त नहीं किया जाएगा और इस नियम के अंतर्गत देय अन्य किसी भत्ते के साथ लिया जा सकता है। शर्त यह है कि जो मोटर कार/मोटर साईकिल के रख—रखाव हेतु स्वीकृत वाहन भत्ते को प्राप्त कर रहे हैं, कार/मोटर साईकिल से यात्रा हेतु माईलेज या दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं करेंगे सिवाय उन शर्तों के जो स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी निर्धारित करता है।

	वाहन भत्ता छुट्टी या अस्थाई स्थानान्तरण या बाद में व पहले आने वाले राजपत्रित अवकाशों के दौरान देय होगा। (RBE 140/08) इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा। (17) <u>माईलेज भत्ता</u> : (Rule 1607 IREC-II) माईलेज भत्ता केवल सड़क यात्रा हेतु देय होगा तथा इसकी गणना दो या अधिक निर्धारित मार्गों में से सबसे छोटे मार्ग या इनमें से सबसे सस्ते मार्ग के अनुसार की जाएगी जो समान रूप से छोटा हो। यदि रेल सेवक ऐसे मार्ग से यात्रा करता है जो सबसे छोटा न होकर भी छोटे मार्ग से सस्ता है तो उसके माईलेज भत्ते की गणना वास्तविक रूप से काम में लिए गए मार्ग के अनुसार की जाएगी। एक रेल सेवक को उसी श्रेणी से यात्रा करनी चाहिए जिसका यात्रा भत्ता उसे देय है। यदि रेल सेवक निचले दर्जे में यात्रा करता है तो वह उसी दर्जे के किराए का हकदार होगा, परन्तु ऐसी स्थिति में जब नियंत्रक अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करने के पीछे पर्याप्त कारण है तो वह उच्चतर श्रेणी का पूरा माईलेज भत्ते की स्वीकृति दे सकता है। (RBE 192/08) इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी जब कभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जायेगा। (18) संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान : (Rule 1642 & 1643 IREC-II 05 &RBE 193/08,189/10) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित रेल सेवक को इस नियम के अंतर्गत स्थनान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, यदि उसका स्थानान्तरण जनहित में नहीं किया गया है। स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण को तब तक जनहित में स्थानान्तरण नहीं माना जाएगा जब तक स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी विशेष कारणों से ऐसा न माने। रेल सेवक हेतु स्थानान्तरण पर यात्रा के दावे निम्नानुसार होंगे :– (a) स्थानान्तरण पर यात्रा हेतु दावे : (i) हवाई यात्रा : 12000/– रू. ग्रेड वेतन तथा HAG+ और उपरी वेतन भोगी अधिकारी स्थानान्तरण पर नए मुख्यालय में कार्यग्रहण हेतु अपने विवेकानुसार हवाई यात्रा कर सकते है। रू. 10000/– ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी को भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से हवाई यात्रा की स्वीकृति दी जा सकती है । हालांकि, हवाई किराया केवल स्वंय के लिए देय होगा । किसी भी रेल सेवक का पारिवारिक सदस्य स्थानान्तरण पर हवाई यात्रा का हकदार नहीं होगा। (ii) रेल यात्रा – रेल सेवक (पास) नियम 1986 की अनुसूची–1 के अंतर्गत देय मुफ्त पास रेल सेवक और उसके पारिवारिक सदस्यों को जारी किए जा सकते है । (iii) सड़क यात्रा – रेल सेवक रेल से जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क यात्रा का हकदार नहीं होगा । हालांकि रेल सेवक और उसके पारिवारिक सदस्य स्टेशनों के रेल से न जुड़े होने की स्थिति में सड़क यात्रा कर सकते हैं । IREC-II के "सेक्शन –V- माईलेज भत्ता के अंतर्गत नियम –1607 के उपनियम 5 के निर्देशानुसार सड़क यात्रा हेतु वही पात्रता होगी जो दौरा यात्रा हेतु देय है । वास्तविक देय सड़क माईलेज भत्ता IREC-II के नियम –1644 में दर्शाया गया है । इस भत्ते की दरे 25% बढा दी जायेगी जब कभी मंहगाई भत्ता 50% तक पहुँच जायेगा । (B) सयुक्त स्थानान्तरण अनुदान :– नियम एवं शर्तेः एक रेल सेवक नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गई दरो के अनुसार Composite transfer grant का हकदार होगा, जो निम्न शर्तो के अधीन होगा । (i) यदि स्थानान्तरण के फलस्वरूप रेल सेवक के आवास में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो composite transfer grant देय नही होगा । (ii) 180 दिनों से कम अवधि के अस्थायी स्थानान्तरण के मामलें मे composite transfer grant देय नहीं होगा ।

(iii) यदि कर्मचारी के अनुरोध पर स्थनान्तरण आदेश जारी किए गए है तो composite transfer grant देय नही होगा । परस्पर (Mutual) स्थानान्तरण के मामले में भी यह देय नहीं होगा।

(iv) स्थानान्तरण आदेशों में इस आशय की सकारारात्मक टिप्पणी के अभाव में कि स्थनान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है या 180 दिनों से कम अवधि मे लिए है, स्थानान्तरण आदेशों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा composite transfer granat के भुगतान की स्वीकृति सहित माना जाएगा, हालाकि यह निर्धारित नियमों और शर्तो के अधीन होगा ।

(v) Composite transfer grant को आयकर की गणना के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(vi) स्थानान्तरण पर घरेलू सामान की पैकिंग / बाधने के लिए रेल्वे श्रमिक को काम में लेने की सुविधा देय नहीं है ।

(vii) Composite transfer grant के भुगतान को पुराने मुख्यालय पर प्राप्त रेलवे आवास को खाली करने से नहीं जोड़ा जाएगा ।

(viii) रेल कर्मचारी की सेवानिवृति की स्थिति में Composite transfer grant का कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि सेवानिवृत रेल कर्मचारी उसे आवंटित आवास को खाली नहीं कर देता ।

(ix) यदि सेवानिवृत,रेल कर्मचारी सेवानिवृति पश्चात अपने किसी पारिवारिक सदस्य के नाम लगातार आवंटित रेल आवास में रहना पसन्द करता है तो उसे Composite transfer grant देय नहीं होगा ।

(x) हालांकि Composite transfer grant देय होगा, यदि सेवानिवृत रेल कर्मचारी परिवार के उस सदस्य से दूर रहना पसंद करता है जिसके नाम पर रेल आवास लगातार आवंटित किया गया है । ऐसे मामलों में सेवानिवृत रेल सेवक को आवास परिवर्तन के संबंध में दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

(xi) Transfer grant के दावे हेतु रेल सेवक को यात्रा करने, इत्यादि का दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

Admissibility of composite transfer grant :-

		On submission of first transfer TA claim after joining at the new HQs.	On submission of and transfer TA claim after transportation of personal effects by		Total
i)	Railway servant s who have joined railway service on or after 1.5.76.	75^ of one month's Basic pay.	(i)5% of one month's baxic pay if car is carried in VPU alongwith personal effects. (ii) Nil. If car is not carried in the VPU.	25% of one month's Basic Pay.	(i)One month's baxic if personal effects are transported by goods train/ container. (ii)80% of one month's basic pay if car is carried in VPU. (iii)75% of one month's basic pay if car is not carried in the VPU.
ii)	Railway servants who have joined Railway service prior to 1.5.76 (i) Op. A,B,C Rly, employees . (ii) Op.D Rly employees	80% of one month's basic pay. 90% of one	Nil Nil		80% of one month's basic pay . 90% of one month's basic pay.

<table>
<tr><td></td><td>
<table><tr><td></td><td>month's basic pay</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

नोटः–

(A) सभी समुहों के कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण 20 किलोमीटर की परिधि में किया गया हैं तथा आवास परिर्वतन किया गया है तो Transfer grant के 1/3 के हकदार होगें।

(B) 01.09.08 को या इसके पश्चात सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी भी इस grant के हकदार होगें।

(C) ऐसे सेवानिवृत कर्मचारी के मामले में जो उसी स्टेशन या उसके 20 कि.मी. के दायरे में ही बसता हैं तथा रहवास का वास्तविक रूप से बदलाव होता है तो उसे C.T.G. के 1/3 का भुगतान देय होगा। (RBE 83/10)

(D) सेवानिवृत रेल कर्मियों और मृत्यु की स्थिति में रेल कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देय Composite transfer grant, यात्रा स्थानान्तरण पर देय राशि के समान ही होगी।

(E) पदोन्नति पर स्थानान्तरण के मामले में रेल सेवक पदोन्नति पूर्व वेतन के आधार पर Transfer grant का हकदार होगा।

(F) Composite transfer grant मूल वेतन अर्थात वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

(G) ऐसी स्थिति में जब पति–पत्नि दोनों सरकारी सेवा में हो तथा दोनों को समान स्टेशन से एक साथ या 6 माह की अवधि के भीतर नए समान स्टेशन पर स्थानान्तरित किया जाता है तो दोनों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(H) (i) जब स्थानान्तरित/सेवानिवृत कर्मचारी घोषणा करता हैं कि उसने अपना व्यक्तिगत /घरेलु सामान अपनी स्वयं की व्यवस्था से स्थानान्तरित कर दिया हैं तथा किट पास/वी.पी.यू. आदि की सुविधा नहीं ली हैं तो ऐसे मामलों में सामान के परिचालन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया जाये। हालांकि यात्रा/निवास परिवर्तन सम्बन्धी साक्ष्य की आवश्यकता रहेगी ।

(ii)स्थानान्तरण/सेवानिवृति सम्बन्धी ऐसे मामलों में जहाँ उसी स्टेशन या उसके 20 कि.मी. के दायरे में जहाँ सामान सामान्यत सड़क द्वारा ले जाया जाता है, वहां C.T.G. निर्धारित दर अर्थात मूल वेतन का 1/3 निवास परिवर्तन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा। (RBE 76/11)

(I) स्थानान्तरण/सेवानिवृति पश्चात बसने के स्थान तक व्यक्तिगत सामान (Personal effects) तथा कार की सड़क के रास्ते ले जाने की स्वीकृति प्रतिपूर्ति अधार (reimbursement basis) पर दी जा सकती है। यह हकदारी (entitlement) C.T.G. के अतिरिक्त होगी।
</td></tr>
<tr><td>(19)</td><td>
रात्रि ड्यूटी भत्ता : (RBE 199/08)

यह भत्ता 22.00 बजे से 06.00 बजे तक कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है। रात्रि ड्यूटी भत्ते के भुगतान के लिए प्रत्येक घंटे हेतु 10 मिनट वेटेज/भार (Waitage) की गणना की जाती है। प्रत्येक (Waitage) घंटे की दर कुल वेतन तथा मंहगाई भत्ते पर तय की जाती है। इस प्रकार जब भी महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है तो रात्रि ड्यूटी भत्ते की दरें भी विभिन्न श्रेणियों के शहरों के अनुसार संशोधित की जाती है। 01.09.08 से प्रभावी नई दरें Continuous, Intensive तथा Workshop staff के लिए E-1 श्रेणी के स्टॉफ से अलग होगी ।

(Rly Bds Lt no- PC-60/HW-2/3 of 07-07-62 NR PS 1670 & 39E/4-1/(EIV) Dt. 27-08-63 NR PS 2220)
</td></tr>
<tr><td>20</td><td>
साईकिल रख–रखाव भत्ता : (Rule 605 IREC-II & RBE 115/08)

सक्षम प्राधिकारी ऐसे रेल सेवक को साईकिल रख–रखाव भत्ता स्वीकृत कर सकता है जिसे मुख्यालय से 08 किलोमीटर की परिधि में सघन यात्राएं करने की आवश्यकता रहती है। इस हेतु कर्मचारी द्वारा साईकिल का रख–रखाव करना तथा कार्यालय कार्यों के निष्पादन में उसका प्रयोग करना आवश्यक है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भत्ता एक समय में दो वर्ष से कम अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा। यह भत्ता
</td></tr>
</table>

	यात्रा समय, छुट्टी, अस्थाई स्थानान्तरण तथा छुट्टियों के आगे / पीछे पड़ने वाले राजपत्रित अवकाश और कार्यग्रहण समय के दौरान देय नहीं होगा। इस भत्ते की दर रूपये 60/- प्रतिमाह 01.09.08, रूपये 75/- प्रतिमाह 01.01.2011 तथा रूपये 90/- प्रतिमाह 01.01.2014 से प्रभावी है। जब भी मंहगाई भत्ता 50% हो जाएगा तब इस भत्ते की दर स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी ।
21	समयोपरि भत्ता : (Chapter 15 of IREC-II & RBE 29/10 & 72/11) जब रेल सेवक HOER के अनुसार तय रोस्टर घंटों से अधिक अतिरिक्त कार्य करता है। या HOER के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के रेल सेवकों हेतु निर्धारित या अन्य किसी नियम में निर्धारित सीमा से अधिक कार्य करता है तो उसे अतिरिक्त कार्य घंटों हेतु समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाएगा । पर्यवेक्षक/प्रबंधकीय तथा गोपनीय स्टाफ को यह भत्ता देय नहीं है। कारखाना, मुद्रणालय तथा शेड में कार्यरत्त कर्मचारी समयोपरि भत्ते के हकदार नहीं है। हालांकि, उन्हे यह भत्ता सामान्य कार्य घंटों से अधिक किए गए वास्तविक कार्य या अवकाश और रविवार को कार्य करने के लिए बुलाए जाने पर महाप्रबंधक की स्वीकृति से स्वीकृत किया जा सकता है। समयोपरि भत्ते की दरें निम्नानुसार है– 1. रोस्टर घंटों से अधिक लेकिन वैद्यानिक सीमा तक : सामान्य दर का 1½ 2. वैद्यानिक सीमा से अधिक : सामान्य दर से दुगुना छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समयोपरि भत्ते की गणना करने के लिए निम्न परिलाभों (emolument) को सम्मिलित किया जाएगा – A) फैक्ट्री एक्ट द्वारा शासित रेल कर्मचारी :– (i) ग्रेड वेतन (ii) वेतन (iii) मंहगाई भत्ता (iv) परिवहन भत्ता (v) मकान किराया भत्ता (vi) कर्मचारियों को स्वीकृत अन्य मौद्रिक समतुल्य जैसे – Provision या अन्य वस्तुए इत्यादि । B) HOER द्वारा शासित अन्य सभी रेल सेवक– उपर (A) में दर्शाये गये अन्य परिलाभ, मकान किराया भत्ता के अलावा। (C) प्रशासनिक आदेशों से शासित अन्य कर्मचारी – (i) ग्रेड वेतन, (ii) वेतन, (iii) मंहगाई भत्ता संशोधित दरों से समयोपरी भत्ते का भुगतान दिनांक 01.09.08 से देय था जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा संशोधित करते हुए निर्धारित किया गया कि संशोधित दरों से समयोपरि भत्ते का भुगतान दिनांक 01.01.06 से देय होगा। हालांकि इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि – समयोपरि भत्ते के भुगतान हेतु मूल वेतन व मंहगाई भत्ते की संशोधित दरें दिनांक 01.01.06 से प्रभावी होगी, समयोपरि भत्ते की गणना हेतु अन्य तत्व यथा मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि की संशोधित दरें इस गणना हेतु दिनांक 01.09.08 से ली गई जाएगी। (RBE 72/11)
22	प्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ता : (Rule 2023 IREC-II & RBE 115/08) जब किसी रेल सेवक को अस्थाई आधार पर अपने सामान्य नियुक्ति स्थान से बाहर अन्य किसी विभाग या राज्य सरकार के कार्यालय में जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है तो वह निम्नलिखित प्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ते का हकदार होगा जो 01.09.08 से प्रभावी है :– (RBE 129/98) 1. जब प्रतिनियुक्ति पर समान स्टेशन पर नियुक्त किया जाता है तो उसे मूल वेतन का 5% भुगतान किया जाएगा जो अधिकतम रू. 2000/– प्रतिमाह हो सकता है। 2. अन्य सभी मामलों में मूल वेतन का 10% जो अधिकतम रू. 4000/– प्रतिमाह हो सकता है। 3. मूल वेतन+प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता बैंड वेतन PB–4 (रू. 67000/–)+ ग्रेड पे प्रतिनियुक्ति पर धारित पद से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्रेड वेतन रू. 10,000/– से अधिक नहीं होना चाहिए। संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन से आशय निर्धारित बैंड वेतन +लागू वेतन से है, लेकिन इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है।
23	राष्ट्रीय अवकाश भत्ता : (Para 1424 of IREC-II 2005)

राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी हेतु बुक किए गए अराजपत्रित कर्मचारियों को यह भत्ता निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया जा सकता है।

1. कर्मचारी के रेस्ट पर होने पर भी नकद प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह आवश्यक नहीं कि नकद प्रतिपूर्ति हेतु उसके रेस्ट को रद्द किया जाए। (RBE 211/09)
2. Round the clock शिफ्ट राष्ट्रीय ड्यूटी करने वाले को ऐसे अवकाश पर आंशिक ड्यूटी करने पर निर्धारित दरों पर पूरा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाएगा।
3. नकद प्रतिपूर्ति केवल उन्ही कर्मचारियों को देय होगी जो राजपत्रित अवकाशों का लाभ नहीं लेते तथा जिनका राष्ट्रीय अवकाशों पर काम करना आवश्यक हों
4. मौट्रिक क्षतिपूर्ति रेस्ट के दिन भी देय है जब रनिंग स्टॉफ वेटिंग ड्यूटी या लाईट ड्यूटी पर हो तथा उस दिन राष्ट्रीय अवकाश पड़ता हो ।
5. राष्ट्रीय अवकाश भत्ता एवज में प्रतिपूर्ति रेस्ट देने की बजाय बारी–बारी से 50% गैंग पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता लागू किया जाएगा
6. राष्ट्रीय अवकाश पर लाईन ड्यूटी हेतु बुक ओपन लाईन स्टॉफ भी राष्ट्रीय अवकाश भत्ता का हकदार होगा ।
7. राष्ट्रीय अवकाश भत्ता प्रावधान राजपत्रित अधिकारियों पर लागू नहीं है ।

इसकी दरें निम्मानुसार है :–

(RBE 190/08,13/10)

क्र सं	बैंड वेतन में वेतन + ग्रेड वेतन	01.09.08	01.01.11	01.01.14
1	रू.7260/– तक	रू. 170/–	रू. 213/–	रू. 256/–
2	रू.7261/–से रू.9700/– तक	रू. 212/–	रू. 265/–	रू. 318/–
3	रू. 9701/– और अधिक	रू. 280/–	रू. 350/–	रू. 420/–

जब मंहगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जाएगी।

24 जनजाति क्षेत्र भत्ता : (RBE 199/87 & 116/08)

ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत रेल कर्मचारी जहाँ राज्य सरकारों ने जनजाति क्षेत्र भत्ता स्वीकृत कर रखा है, निम्नलिखित दरों पर निर्धारित शर्तो के अनुसार विशेष प्रतिपूरक जनजाति क्षेत्र भत्ते के हकदार है–

क्रसं	ग्रेड वेतन	दर प्रतिमाह–	01.09.08	01.01.11	01.01.14
1.	रू. 5400/– ग्रेड वेतन और अधिक		रू. 400/–	रू. 500/–	रू. 600/–
2.	रू. 5400/– से कम ग्रेड वेतन		रू. 240/–	रू. 300/–	रू. 360–

यह भत्ता तब तक देय होगा जब तक राज्य सरकार इसे अपने कर्मचारियों को देगी। कर्मचारी द्वारा एक या अधिक अनुसूचित/जनजाति खण्डों में चार वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही यह भत्ता प्रथम नियुक्ति की तिथि से एरियर के माध्यम से दिया जाएगा। चार वर्ष पूर्ण करने के पश्चात यह भत्ता मासिक आधार पर देय होगा। जब मंहगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दरें स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी। किसी स्थान विशेष पर देय अन्य विशेष प्रतिपूरक भत्ते की स्थिति में वहां कार्यरत रेलकर्मी को वह विकल्प चुनने की सुविधा होगी जो उसके लिए लाभकारी हो।

(25) <u>बॉर्डर भत्ताः</u> (RBE 159/89)

बॉर्डर भत्ता पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 16 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत्त कर्मचारियों को देय होगा जिसमें जिला, उप–जिला तथा तहसील मुख्यालय शामिल नहीं है। यह भत्ता राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 30 मील की परिधि में कार्यरत कर्मचारियों को देय होगा जिसमें जिला, उप–जिला तथा तहसील मुख्यालय शामिल नहीं है।

बॉर्डर भत्ता तभी दिया जाएगा जब अन्य प्रतिपूरक भत्ते जैसे– सुदूर क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, खराब जलवायु, पहाड़ी क्षेत्र भत्ता देय नहीं हो।

यह भत्ता सुरक्षा बलों तथा ऐसे रेल सेवकों को देय नहीं होगा जिनकी भर्ती शर्तों में प्राथमिक रूप से बॉर्डर क्षेत्र में कार्य करना शामिल है।

RBE No. 153/08 के तहत राजस्थान राज्य हेतु बॉर्डर क्षेत्र भत्ता समाप्त कर दिया गया है।

26 <u>विशेष प्रतिपूरक (सुदूर क्षेत्र) भत्ता :</u> (RBE 203/86, 198/98, 119/08)

सुदूर क्षेत्र भत्ता ऐसे रेल कर्मियों को देय है जो विभिन्न राज्यों के विशेष क्षेत्रों तथा A, B, C व D के रूप में विभक्त संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत है। (सूची RBE 198/98 में) । ऐसे विशेष क्षेत्र मुख्यतः जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, नागालैण्ड तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से सम्बद्ध है। ऐसे रेल सेवक जो इन आदेशों के अंतर्गत विशेष प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं व इसके साथ संयुक्त पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। हालांकि ऐसे स्थान जहाँ देय पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता या अन्य कोई प्रतिपूरक भत्ता अधिक लाभदायक हो तो विशेष प्रतिपूरक भत्ते की एवज में उस भत्ते की स्वीकृति दी जा सकती है।

विशेष प्रतिपूरक भत्ता शहर प्रतिपूरक भत्ते के समान समय–समय पर संशोधित आदेशों के अंतर्गत छुट्टी, कार्यग्रहण समय तथा निलम्बन के दौरान देय/निर्धारित होगा।

यह भत्ता सभी रेल सेवकों पर लागू है। (ग्रुप–'ए' सहित)

01.09.08 से प्रभावी इस भत्ते की दरें निम्नानुसार है :–

क्रस	ग्रेड वेतन	Area Part Wise											
		A			B			C			D		
1	रू. 5400/– और अधिक ग्रेड वेतन	01.09.08	01.01.11	01.01.14	1.9.08	1.1.11	1.1.14	1.9.08	1.1.11	1.1.14	1.9.08	1.1.11	1.1.14
2	रू. 5400/– से कम ग्रेड वेतन												

जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दर स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी।

किसी स्थान विशेष पर देय किसी अन्य विशेष प्रतिपूरक भत्ते की स्थिति में वहां कार्यरत रेलकर्मी को वह भत्ता चुनने का विकल्प रहेगा जो उसके लिए लाभदायक हो।

27 खराब जलवायु भत्ता : (RBd's l.No. PC-III/94/COA/3 dt. 16.04.74, RBE 114/08)

ऐसे क्षेत्र जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब जलवायु क्षेत्र माने गये हैं, ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत्त खराब जलवायु भत्ते के हकदार होगें।

इस भत्ते की 01.09.08 से प्रभावी दरें निम्न हैं :–

क्रस	ग्रेड वेतन दर प्रतिमाह	01.09.08	01.01.11	01.01.14
1	रू 5400/– तथा अधिक ग्रेड वेतन	रू 400	रू 500	रू 600
2	रू 5400/– से कम ग्रेड वेतन	रू 240	रू 300	रू 360

जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुँच जायेगा तो इस भत्ते की दर स्वतः ही 25 प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी। किसी स्थान विशेष पर देय किसी अन्य विशेष प्रतिपूरक भत्ते की स्थिति में वहाँ कार्यरत रेल कर्मी को वह भत्ता चुनने का विकल्प रहेगा जो उसके लिये लाभदायक हो।

28 <u>रात्रि गश्त भत्ता</u>: (Rly Bd's Lt. No. PC-III/80/JCM/DC/1 Dt. 18.02.81 & RBE 72/90 & 163/08)

भारतीय रेलवे में रात्रि के समय गैंगमेन/ट्रेकमेन द्वारा ट्रेक पर गश्त की जाती है और इस हेतु गैंगमेन/ट्रेकमेन को 01.09.08 से रू. 6/- प्रति रात्रि, दि0 01.01.11 से 8/- प्रति रात्रि व रू. 10/- प्रति रात्रि दिनांक 01.01.14 से की दर से रात्रि गश्त भत्ता स्वीकृत किया गया है, यह भत्ता ग्रेडेड स्केल कैजुअल लेबर को भी देय है। जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दरें 25% बढ़ा दी जायेगी।

29 <u>विशेष प्रतिपूरक भत्ता (पहाड़ी क्षेत्र हेतु)</u> : (RBE 41/91 & 113/08)

ऐसे रेल सेवक जो 1,000 मीटर या अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेशनों पर नियुक्त हैं या केरल के वायनाड़ (Wayanad) में नियुक्त हैं या रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में घोषित अन्य किसी स्टेशन/क्षेत्र में नियुक्त है, वे विशेष प्रतिपूरक भत्ते (पहाड़ी क्षेत्र हेतु) के हकदार हैं। यदि ऐसे क्षेत्रों में कोई अन्य प्रतिपूरक भत्ता देय है तो वहां नियुक्त रेल सेवक के पास कोई भी भत्ता चुनने का विकल्प रहेगा। इस भत्ते की दरें निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	ग्रेड वेतन प्रभावी दरें –	01.09.08	01.01.11	01.01.14
1.	रू. 5400/- तथा अधिक ग्रेड वेतन	रू. 600/-प्र.मा.	रू. 750/-प्र.मा.	रू. 900/-प्र.मा.
2.	रू. 5400/- से कम ग्रेड वेतन	रू. 480/-प्र.मा.	रू. 600/-प्र.मा.	रू. 720/-प्र.मा.

जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दर स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी।

30 <u>परिवार नियोजन भत्ता</u> : (Rly Bd's L. No. 80H(FW)7/1 Dt. 07.02.80) (N.R. PS-7528)

छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है जो 04.12.1979 से प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत दो या तीन जीवित बच्चों के पश्चात् नसबन्दी कराने वाले रेल कर्मियों को व्यक्तिगत वेतन के रूप में विशेष वेतन वृद्धि (जो आगामी वेतन वृद्धि की राशि के बराबर होगी) दी जाएगी विशेष वेतन वृद्धि भविष्य में दी जाने वाली वेतन वृद्धि, चाहे समान वेतनमान में हो या उच्च वेतनमान में पदौन्नति पर हो, सम्मिलित नहीं की जायेगी। वेतन वृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि कर्मचारी 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए तथा उसकी पत्नि 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला कर्मचारी के मामले में वह 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए।

01.09.08 से प्रभावी परिवार नियोजन भत्ता की संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:– [RBE 151/08)

Grade Pay	Revised rate
Rs. 1300/- to Rs. 2400/-	Rs. 210/-
Rs. 2800/-	Rs. 250/-
Rs. 4200/-	Rs. 400/-
Rs. 4600/-	Rs. 450/-
Rs. 4800/-	Rs. 500/-

	Rs. 5400/- Rs. 550/- Rs. 6600/- Rs. 650/- Rs. 7600/- Rs. 750/- Rs. 8700/- Rs. 800/- Rs. 8900/- Rs. 900/- Rs. 10000/- Rs.1000/- वर्तमान में परिवार नियोजन भत्ता की न्यूनतम दर रू. 210 है।
31	कार्यकाल (Tenure) भत्ता : (RBE 154/08) रेलवे बोर्ड में विशेष पदों पर पदस्थ संगठित समूह ''क'' रेल सेवा के अधिकारी निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ते के हकदार हैं :– (i) संगठित समूह–के रेल सेवा के अधिकारी तथा गैर रेलवे संगठित समूह ''क'' सेवा के अधिकारी जो रेलवे बोर्ड के कार्यकाल में उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक के रूप में नियुक्त हैं, एक निर्धारित कार्यकाल तक रहेंगे। इस अवधि के समाप्त होने पर उन्हें क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाईयों/निर्माण संगठनों इत्यादि में प्रत्यावर्तित/वापस भेज दिया जाएगा। (ii) रेलवे बोर्ड कार्यालय में उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक के रूप में नियुक्त संगठित समूह–क रेल सेवा से सम्बद्ध अधिकारियों को रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ते का भुगतान उनके मूल वेतन के 10% की दर से किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 4000/– होगी। (iii) यह भत्ता कार्यकाल की सामान्य अवधि के पश्चात देय नहीं होगा अर्थात् उप निदेशक हेतु 3 वर्ष, संयुक्त निदेशक हेतु 4 वर्ष तथा निदेशक हेतु 5 वर्ष। (iv) रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्यकारी निदेशक तथा ऊपर के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। (v) ऐसे उप निदेशकों/संयुक्त निदेशकों/निदेशकों को यह भत्ता देय नहीं होगा, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है या सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः नियुक्त किया गया है। (vi) ऐसे मामलों में जहाँ कार्यकाल/आवधिक नियुक्ति कम ग्रेड वेतन वाले पद पर हैं तो ऐसे पद जाने वाला अधिकारी Tenure पद से सम्बद्ध ग्रेड वेतन प्राप्त करेगा। लेकिन Tenure नियुक्ति से पूर्व धारित पद के बैंड वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
32	बालक शिक्षा भत्ता : (RBE 135/08 & 150/08) बालक शिक्षा भत्ता तथा शिक्षण शुल्क पुनःभरण जो अब तक अलग–अलग देय थे, अब उनका विलय कर दिया गया है। इसे अब ''बालक शिक्षा भत्ता योजना'' के रूप में जाना जाता है। (i) बालक शिक्षा भत्ता योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अधिकतम दो बच्चों के शिक्षण पुनर्भरण का लाभ ले सकता है। RBE No. 100/2009 के तहत यह शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले दो सबसे बड़े बच्चों हेतु लिया जा सकता है सिवाय उस स्थिति के जब दूसरे प्रसव में एक से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है या परिवार नियोजन आपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे हेतु देय होगा। (RBE 197/08, 01/10 & 55/13) नोटः– (क) दिनांक 10.06.09 के पूर्व ''सबसे बड़े दो'' बच्चों के स्थान पर ''किन्हीं दो'' बच्चों के लिए बालक शिक्षा भत्ते के कर दिये गये भुगतान की कटौती कर्मचारी से नहीं की जायेगी । [RBE L.No. E(W)2012/ED-2/1 dt. 11.04.12 (NWR PS 21/12)] (ख) बालक शिक्षा भत्ता केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत नेपाल व भुटान के ऐसे नागरिकों को भी देय होगा जिनके बच्चे उनके पैतृक स्थानों पर ही पढ़ रहे हैं। (RBE 55/13) (ग) मानसिक/शारीरिक अक्षमता के कारण प्रथम दो बच्चों के स्कूल न जाने की अवस्था में तीसरे बच्चे को बालक शिक्षा भत्ता/होस्टल सब्सिडी भुगतान के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये भत्ते सबसे बड़े से जीवित बच्चों के लिए ही देय है।

[Rly. Bds L.No. E(W)2014/ED-2/4 dt. 24.09.14 (NWR PS 82/14)]

(ii) ऊपर दर्शाया गया पुनर्भरण केवल स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा पर किए गए व्यय हेतु देय होगा अर्थात नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों हेतु जिसमें शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूल तथा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जूनियर कॉलेज की 11वीं और 12वीं कक्षाएं शामिल हैं। (नर्सरी से बारहवीं तक कक्षाओं में कक्षा I से XII+2 कक्षाएं शामिल है जिनके नामों (Nomenelature) से कोई संबंध नहीं हैं)।

इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों की शिक्षा हेतु पुनर्भरण देय होगा जो केन्द्र या राज्य सरकार या संघ शासित या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है फिर चाहे यह सरकार से अनुदानित है या नहीं।

(RBE 01/10)

(iii) बालक शिक्षा भत्ते के पुनर्भरण का कक्षा में बच्चे के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यदि कोई बच्चा किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो भी बालक शिक्षा भत्ता का पुनर्भरण नहीं रोका जाएगा। लेकिन किसी कक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् बच्चे को अन्य स्कूल में उसी कक्षा में डाला जाता है तो यह भत्ता देय नहीं होगा।

(RBE 55/13)

iv) इस योजना के अंतर्गत निम्न मदों के पुनर्भरण का दावा किया जा सकता है –
शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क तथा कृषि, इलेक्ट्रानिक्स, संगीत या अन्य किसी विषय हेतु लिया जाने वाला विशेश शुल्क, कार्यानुभव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रायोगिक कार्य हेतु लिया जाने वाला शुल्क, बच्चे द्वारा सहायक सामग्री या उपकरण के प्रयोग हेतु शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेलकूद शुल्क तथा शिक्षणेतर गतिविधियों (Extra chrricular activities) हेतु शुल्क। इसमे एक वर्ष में पाठ्यपुस्तकों तथा कॉपियों का एक सेट, दो यूनिफॉर्म सेट, स्कूल शूज का एक सेट भी शामिल है। जिनका दावा एक बच्चे हेतु किया जा सकता है। (यूनिफॉर्म, फीस व स्कूल शूज संबंधी स्पष्टीकरण RBE 25/11 में)

(अ) इसमें केन्द्रीय विद्यालय द्वारा ली जाने वाली विद्यालय विकास निधि भी भाामिल है।(RBE 01/10)

(ब) वित्तीय वर्श 2013–14 से परीक्षा फीस (Examination fee) को भी बालक शिक्षा भत्ते के पुनर्भुगतान मद के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। (RBE 93/13. 44/14)

(स) वार्शिक शुल्क, परिवहन फीस, स्कूल बेग, पेन/पेंसिल, पानी की बोटल इत्यादि का पुनर्भरण देय नहीं है। (RBE 45/12 & 55/13)

(v) विद्यालय द्वारा फीस के एवज में ली गई विकास निधि/अभिभावक अंशदान (Development Fee /Parents contribution) का पुनर्भुगतान देय होगा। लेकिन इस संबंध में कर्मचारी को यह सत्यापित करना होगा कि विद्यालय द्वारा ट्यूशन फीस चार्ज नहीं की गई है।

(RBE 45/12 & 55/13)

(vi) बालक शिक्षा भत्ता के वार्षिक पुनर्भरण की अधिकतम निर्धारित सीमा रू. 12000/– है तथा दिनांक 01.01.11 से 15000/– व दिनांक 01.01.14 से 18000/– है। रेलकर्मी के विकलांग बच्चों हेतु यह दर से दुगुना देय होगा। ऐसे मामलों में अधिकतम वार्षिक सीमा रू. 24000/– है व रू. 30,000/– दिनांक 01.01.2011 व दिनांक 01.01.14 से 36000/– है। (RBE 150/08 & 78/11)

(vii) इस योजना के अंतर्गत पुनर्भुगतान का दावा प्रति तिमाही एक बार किया जा सकता है। एक तिमाही में किए गए दावे की रा‍ि ा रू. 3000/– से अधिक हो सकती है तथा दूसरी तिमाही में रू.3000/– से कम हो सकती है जो इस तथ्य के अधीन होगा कि प्रति बालक अधिकतम वार्शिक सीमा रू. 12,000/– होगी तथा दिनांक 01.01.11 से 15000/– होगी।

(viii) कुल वार्षिक देय अधिकतम सीमा का 50% बालक शिक्षा भत्ता कर्मचारी को प्रथम तिमाही में देय होगा तथा शेष राशि द्वितीय व तृतीय तिमाही में। रेलकर्मी देय पूर्ण बालक शिक्षाभत्ता, 15000/– रूपये की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए, अंतिम तिमाही में क्लेम कर सकता है। (RBE 132/11, 45/12, 55/13, 44/14)

(ix) बालक शिक्षा भत्ता पुनर्भुगतान हेतु तीसरे/चौथे सत्र ($3^{rd}/4^{th}$ quarter) की फीस भुगतान संबंधी मूल रशीद प्रस्तुत करनी होगी। (RBE 58/13)

(x) ऐसे मामले में जब पति–पत्नि दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो उनमें से केवल एक बालक शिक्षा भत्ता के अंतर्गत पुनर्भुगतान का लाभ ले सकता है। ऐसे मामलों में यह घोषणा/undertaking देनी होगी कि उसके अतिरिक्त इस बच्चे हेतु किसी अन्य द्वारा पुनर्भुगतान नहीं लिया जा रहा है। (RBE 58/13, 44/14)

(xi) परिवार नियोजन आपरेशन असफल होने की अवस्था में, दो बच्चों के आगे सिर्फ बालक शिक्षा भत्ता केवल उस प्रथम बच्चे हेतु देय होगा जो ऐसे असफल आपरेशन के पश्चात् पैदा हुआ है। (RBE 132/11, 45/12 & 55/12)

(xii) अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रावास अनुदान का पुनर्भुगतान अधिकतम रू. 3000/– प्रतिमाह प्रति बालक दिनांक 01.09.08, 3750– 01.01.11 व 4500/– दिनांक 01.01.14 से प्रतिमाह प्रति बालक की दर से किया जाएगा। (रू. 6000/– प्रति माह प्रति बच्चा विकलांग बच्चे के मामले में तथा दिनांक 01.01.2011 से रू. 7500/– व रू. 9000/– दिनांक 01.01.14 से प्रतिमाह प्रति बच्चा विकलांग बच्चे के मामले में। (RBE 135/10 & 78/11)। हालांकि छात्रावास अनुदान तथा बालक शिक्षा भत्ता दोनों का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता।

(xiii) कर्मचारी की नियुक्ति/रहवासीय स्टेशन से 50 किमी. दूर अन्य किसी रहवासीय स्कूल के छात्रावास में बच्चे को रखने के क्रम में होस्टल सब्सिडी का पुनर्भुगतान देय होगा। इस उद्देश्य हेतु कर्मचारी के नियुक्ति/रहवासीय स्टेशन का निर्धारण उस क्षेत्र के पिन कोड के प्रथम तीन अकों से होगा। (RBE 198/09, 25/11, 93/12 & 55/13)

(xiv) अगर बालक किसी ऐसे छात्रावास में रह रहा है जो कि आवासीय विद्यालय (residential school) का हिस्सा नहीं है तो होस्टल सब्सिडी देय नहीं होगी। (RBE 55/13)

(xv) जब भी संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तब यह सीमा स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी। (RBE 45/12 & 55/13)

(xvi) इस योजना के अंतर्गत प्रक्रिया को सरल रखा गया है। अब से सरकारी कर्मचारी स्वयं सत्यापन के आधार पर मूल रशीदों को प्रस्तुत कर पुर्नभुगतान लेगा। ये आदेश 01, सितम्बर 2008 से प्रभावी होंगे।

(इस संबंधी प्रक्रिया NWR PS 39A/11 में दी गई हैं)

(xvii) शैक्षणिक सत्र के मध्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्त, सेवामुक्त आदि के कारण सेवा से अलग हुए कर्मचारियों के मामलों में बालक शिक्षा भत्ता/ होस्टल सबसिडी का भुगतान उस सत्र की समाप्ति तक देय होगा।

रेल कर्मचारी के मृत्यु के मामले में बालक शिक्षा भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी योग्य बच्चों को तब तक देय होगी जब तक की कर्मचारी के जिन्दा होने पर उसे देय होती बशर्त है कि मृत कर्मचारीकी पत्नी/पति सरकारी सेवा में न हो। (RBE 25/11)

(xviii) बालक शिक्षा भत्ता के भुगतान हेतु ऊपरी आयु सीमा विकलांग बच्चों हेतु 22 वर्ष व अन्य बच्चों हेतु 20 वर्ष या 12वीं कक्षा पास, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है। (RBE 25/11 & 55/13)

(xix) पत्राचार व दूरस्थ शिक्षा (Correspondence or Distance Learning) के मार्फत् शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों हेतु भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर बालक शिक्षा भत्ता देय होगा। (RBE 25/11)

(xx) दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकता पूर्ति हेतु अगर स्कूल द्वारा अलग से कोई फीस ली जाती है तो उसका पुर्नभुगतान भी देय होगा। (RBE 45/12)

(xxi) बालक शिक्षा भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी पुर्नभुगतान हेतु बालक की न्यूनतम आयु सीमा की कोई शर्त नहीं है। (RBE 197/08, 45/12 & 55/13)

	(xxii) रशीद गुम होने की अवस्था में स्कूल द्वारा जारी तथा उनके द्वारा यथा सत्यापित रशीद पर पुर्नभुगतान देय होगा। (RBE 45/12 & 55/13) (xxiii) रेलकर्मी के बच्चों को ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा में पढ़ने हेतु यदि बालक शिक्षा भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी नहीं दी गई है तो दसवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् पोलेटेक्निक/आई.टी.आई./इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा/सार्टिफिकेट कोर्स करने पर इसके प्रथम दो वर्ष हेतु बालक शिक्षा भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी देय होगी। (RBE 93/12 & 55/13)
33	(33) <u>विकलांग महिला हेतु बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ता</u> : (RBE 150/08) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप विकलांग महिला कर्मचारी और विशेषकर जब उसे छोटे बच्चे और विकलांग बच्चे होने पर सरकार द्वारा उसे अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति महोदय ने निम्न निर्देश जारी किए है :– (i) विकलांग महिला को बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ते के रूप में रू. 1000/– प्रतिमाह दिनांक 01.09.08 से तथा 1250/– रू. प्रतिमाह दि. 01.01.11 से व रू. 1500/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.14 से देय होंगे। यह भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर दो वर्ष का होने तक देय होगा। (ii) यह भत्ता अधिकतम दो बच्चों हेतु देय होगा। (iii) विकलांगता से आशय है कि व्यक्ति न्यूनतम 40% विकलांग हो जैसा कि कल्याण मंत्रालय (Ministry of welfare) की अधिसूचना सं0 16-18/97-NT Dt. 01-06-2001 में वर्णित है। (iv) जब भी संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो इस भत्ते की दरें स्वतः ही 25% बढ़ा दी जाएगी। (v) प्रथम अवसर पर अगर एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो महिला रेलकर्मी एक से अधिक बच्चों हेतु इस भत्ते की पात्र नहीं होगी। (RBE 18/12 & 55/13) (vi) विकलांग महिला रेलकर्मी को बच्चे की देखभाल के लिए यह विशेष भत्ता बच्चे के पैदा होने से दो वर्ष तक देय होगा जब तक कि उसके दो जीवित बच्चें न हों। (RBE 18/12 & 55/13)
34	विशेष ड्यूटी भत्ता : (RBE 2/99 &118/08) विशेष ड्यूटी भत्ता अखिल भरतीय सेवा अधिकारी सहित रेल कर्मियों को मूल वेतन का 12.5 प्रतिशत (वेतन+ग्रेड वेतन)+NPA (जहाँ लागू हो) दर से देय होगा, जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं होगा कि स्थानान्तरण (आरम्भिक नियुक्ति सहित) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (अरूणाचल प्रदेश, असम , मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालेण्ड और त्रिपुरा) के बाहर से हो या उसी क्षेत्र के दूसरे स्थान से हो । रेल कर्मचारी उपर्युक्त दरों पर विशेष ड्यूटी भत्ते के हकदार होंगे जिसका अन्य किसी भत्ते से कोई संबंध नहीं होगा । उत्तर सीमान्त (N.F.) रेलवे के उत्तर पूर्व (N.E.) क्षेत्र में नियुक्त रेल कर्मचारी विशेष प्रतिपूरक (सुदूर क्षेत्र)भत्ता, Composite Hill प्रतिपूरक भत्ता , खराब जलवायु भत्ता तथा जनजाति क्षेत्र भत्ते के भी हकदार होंगे। (RBE 80/08)
35	PCO भत्ता : (RBE 193/99, 23/09 & 68/09) उत्पादन नियंत्रण संगठन में कार्यरत स्टाफ को स्वीकृत किया गया है । गैर पर्यवेक्षकीय स्टाफ जैसे रू. 4200 तक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले जूनियर इंजीनियर को 15 प्रतिशत तथा रू. 4600 ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले सेक्शन इंजी0 तथा सीनियर सेक्शन इंजी0 को 7.5 प्रतिशत की दर से यह भत्ता देय होगा जो 01.09.08 से प्रभावी है । इस भत्ते की गणना अन्य किसी लाभ जैसे मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी तथा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी। यह निर्णय किया गया है कि कार्यशाला संवर्ग के वरिष्ठ सुपरवाईजर जिन्हें मुख्य संरक्षा अधिकारी/संरक्षा अधिकारी लगाया जाता है उन्हें भी पी.सी.ओ. भत्ते की दर अर्थात् 7.5 प्रतिशत की दर रूपये दृ देय होगा।

36	प्रशिक्षण भत्ता : (Faculty Member) (RBE 26/2000) राजपत्रित तथा अराजपत्रित विषयवेता जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु अपने कार्यस्थल से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाता है । तथा वहां पर उनकी ड्यूटी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना होती है, उन्हे मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है । विषयवेत्ताओं की बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रशिक्षण भत्ता देय होगा । यह वेतन का भाग नहीं होगा , लेकिन छुट्टी वेतन हेतु इसकी गणना की जाएगी । विषयवेत्ताओं की प्रतिनियुक्ति अवधि किसी भी मामले /परिस्थितियों में आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
37	ओक ग्रोव स्कूल , झारीपानी के शिक्षक स्टाफ को विशेष भत्ता : (RBE 48/09) ओक ग्रोव स्कूल के शिक्षको, पुस्ताकालयाध्यक्षों तथा अन्य शैक्षणिक स्टॉफ को बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन का 10 प्रतिशत विशेष भत्ता देय है जो 01.09.08 से प्रभावी है । ओक ग्रोव स्कूल की सहायक मिस्ट्रेस को वर्तमान प्रावधानो के अनुसार देय रू 200/– प्रतिमाह का विशेष भता 01.09.08 से समाप्त /बन्द कर दिया गया है ।
38	लगातार (Constant) अटेन्डेन्ट भत्ता : (RBE 112/08 & 72/09) ऐसे पेंशनर जो रेल सेवा (असामान्य / विशेष पेंशन) नियम 1993 के अर्न्तगत 100% अशक्कता /निशक्कता के कारण अशक्कता पेंशन पर सेवानिवृत हुए हैं (तथा जब व्यक्ति दैनिक कार्यो हेतु पूर्णतः किसी अन्य पर निर्भर हो।) ऐसे व्यक्तियों को अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त रू. 3000/– प्रतिमाह लगातार (Constant) अटेंडेन्ट भत्ता स्वीकृत किया जाएगा । यह भत्ता ऐसी अवधि के दौरान देय नहीं होगा जब पेंशनर किसी सरकारी संस्थान या अस्पताल में भर्ती रहा हो ।
39	जोखिम भत्ताः (RBE 146/91,156/91,36/04,21/05 & 44/13) समूह ''घ'' और ''ग'' के आर्टिजन तथा गैर आर्टिजन अकुशल स्टॉफ को जोखिम भत्ता स्वीकृत किया जाता है। जो बहुत भारी किस्म या विशेष जोखिम, स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल या खराब तथा अरूचिकर प्रकृति का कार्य करते है (दर – रू. 40/– प्र.मा. दिनांक 01.09.08 से, रू. 50/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.11 से व रू. 60/– प्रतिमाह दिनांक 01.01.14 से)
40	विशेष भत्ता : (क) क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाईयों में काबिल व अनुभवी कर्मचारियों को सतर्कता निरीक्षक के पद पर आकर्षित करने हेतु विशेष मामले के बतौर रेलवे बोर्ड द्वारा निश्चय किया गया है कि क्षेत्रिय रेलों /उत्पादन इकाइयों पर सतर्कता निरीक्षकों को 2500/– प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता दिया जाए । यह आदेश जनवरी 2012 से प्रभावी होंगे । i) यह विशेष भत्ता तभी देय होगा जब संबंधित कर्मचारी का अपने मूल विभाग तथा सर्तकता निरीक्षक के पद पर ग्रेड पे समान हो । ii) यह विशेष भत्ता वेतन निर्धारण व वेतन संरक्षण हेतु गणना में नहीं लिया जाएगा । { RBE 03/12&RB L.NO.E(P&A)1-2010/SP-I/Gen-I dt. 09.05.12 (NWR PS 26/12) 44/13)} (ख) रेल मंत्रालय द्वारा यह विनिश्चत किया गया है कि किसी भी इंजीनियरिंग फाटक पर तैनात किए गए ट्रेक मेन्टेनर को प्रति माह 375 रू. व 450 रू. प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता देय होगा। इस भत्ते की दरे 25 प्रतिशत बढ़ा दी जाएगी जब कभी मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। (RBE 99/12)